



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062026-273237
CG-DL-E-08062026-273237

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2792]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2792]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

का.आ. 2886(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से भोगत (गुजरात) तक वाया विरमगाम और सलाया क्रूड ऑयल पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत वेदांता लिमिटेड और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी कम सक्षम प्राधिकारी, ओ.एन.जी.सी.एल, सीईआईएल (ओ.ए.एल.पी. - वेदान्ता) कार्यालय, कलक्टर परिसर, बाड़मेर, राजस्थान-344001 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला: बाड़मेर				राज्य: राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	उदाराम की ढाणी	बाटाडू	595/97	00	08	00

जिला: बालोतरा				राज्य: राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	धांधलावास	गुडामालानी	186/8	00	02	50

[फा. सं. इएक्सपीएल -11032(11)/22/2020-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (ई-34023)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th June, 2026

S.O. 2886(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Pipeline within Barmer (Rajasthan) to Bhogat (Gujarat) Crude Oil Pipeline Project by Vedanta Limited and Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC)

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of Gazette of India containing this notification area made available to the General public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Land Acquisition Officer Cum Competent Authority, O.N.G.C.L., CEIL, OALP- VEDANTA Barmer – Bhogat Pipeline Project, Collector Campus, Barmer, Rajasthan-344 001.

SCHEDULE

District:- Barmer				State :- Rajasthan		
Sl.	Name of the Village	Tehsil	Khasara No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Udaram Ki Dhani	Batadu	595/97	00	08	00

District:- Balotra				State :- Rajasthan		
Sl.	Name of the Village	Tehsil	Khasara No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dhandhlawas	Gudamalani	186/8	00	02	50

[F. No. Expl-11032(11)/22/2020-EXPL-I-PNG (E-34023)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.